# ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

## आर0ई0आर0 केस नं0–29/22–23

## धर्मेन्द्र ब्रहम बनाम् नकुल राय वगै0

27.03.2023

### –: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक धर्मेन्द्र ब्रहम, पे0–स्व0 मेघदयाल बाबू, सा0–झगडुवा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–दर्वेचक नं0–419, जमाबंदी नं0–04, दाग नं0–59 के अंदर कुल रकवा–01–05–18 धूर भूमि से विपक्षीगण नकुल राय, ज्ञानदेव राय व जोगिन्दर राय, तीनों पे0–स्व0 चक्कु राय, सभी सा0–बारेडीह, गढ़ली राउत, पे0–स्व0 पथो राउत, बमबम राउत, पे0–जयप्रकाश राउत, दोनों सा0–डलावर, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रकिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा अपने पत्रांक–1650/रा0, दिनांक–19.12.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि खतियान के कैफियत कॉलम में खेसरा सं0–59 दखल–मनीबाबु वो मो0 कदमीवती वो रकसीवती वो लछुमन बाबु तथा खेसरा सं0–60 में दखल–बौधु बाबु अंकित है एवं खाता संयुक्त है। जमाबंदी रैयत के विस्तृत वंशावली सत्यापन हेतु ग्राम सभा की गई। विपक्षीगण उक्त वादगत जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं आते हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि खतियान में खेसरा सं0–59 के कैफियत कॉलम में जमाबंदी रैयत/रैयतों का दखल क्यारी अंकित है। कैफियत कॉलम में अंकित जमाबंदी रैयत/रैयतों का नाम अंकित होने से उनके वारिशान/उत्तराधिकारियों का दावा न्यायोचित प्रतीत होता है। विपक्षीगणों का जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं आने की वजह से उनका दावा सही प्रतीत नहीं होता है। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

27.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

27.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 13:12:59 +05:30
Location: 192.168.1.33